दिनांक 3-4-21 पत्रावली पेश हुई।
वकील प... ...500 साहब/
अवकाश/... ...से पत्रावली
वास्ते ... 18.6... को पेश हो।
रीडर

कोरोना महामारी चलने से

18.6.2020 पत्रावली पेश हुई। वादी हमराह स्वयं उपस्थित। पत्रावली विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली में जवाब बन्द हो ~~अब~~ बहस में चल रही है। विपक्षीगण दिनांक 18.7.19 से अनुपस्थित है। इनका जवाब रिकार्ड पर नहीं आने से जवाब बंद किया गया। इसलिए वादी की तरफ से वादी की लिखित लिखित बहस प्राप्त पेश हुई है। वादी के वकील दुर्घटना में मामूली चोट लगने से उपस्थित नहीं हो।

लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन।

इसके अनुसार दिनांक 18.7.19 को जवाबदेही तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। विपक्षीगण द्वारा अब तक जवाब पेश करने में विफल रहे हैं। इसलिए निर्णय किया जाता है। अं.नि.मि. अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को पुष्ट (confirm) किया जाता है।

समस्त मामलों में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय मुकदमा:

तीन बिन्दुओं के पक्ष में निर्णीत किया जा
है जैसे प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा
व अपूरणीय क्षति।

प्रार्थी ने प्रस्तुत पत्र साथ-प्रार्थना में
पेश किया है। इसका कोई खण्डन नहीं
का शपथ पत्र पेश किया है। वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी
हुआ है। मेरे विचार से वाद वर्णित ... उसके
वादी कानूनी खातेदार है। इसकी पुष्टि उसके
द्वारा पेश जमाबंदी से होती है। इसमें विपक्षीगण
का कोई उल्लेख नहीं है। जमाबंदी रेकार्ड
ऑफ राईट होकर पब्लिक दस्तावेज है। मामले में
मूल वाद सं. 18/19 के अनुसार जवाबदावा रेकार्ड
पर है। लेकिन विपक्षी का निर्माण किया
जा रहा है। इस बाबत कोई अवज नहीं है।
खाता जवाबदावा के अनुसार खसरा नं.
453 की पड़त भूमि पर मकान होना प्रकट कर
रहे हैं लेकिन ख. नं. 453 बाबत वाद या प्रार्थना
नहीं होना खसरा नं. 494 व 1660/454 बाबत है।
इसलिए वाद में प्रतिवादीगण के जवाब पर वादी
पक्ष का खंडन नहीं होता है। जैसे यह मान
जाय कि विपक्षी का मकान नं. नं. 454 पर है तो
यह अतिक्रमण के दायरे में आता है तथा उक्त
ख. 454 पड़त भी नहीं है। इस प्रकार मामला
प्रार्थी के पक्ष में कायम होता है। इसलिए
अस्थाई निषेधाज्ञा व आदेश को पुष्ट
नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के उपभोग
व उपयोग के अधिकार पर ~~प्रभाव~~ विपरीत
प्रभाव पड़ेगा, तथा इससे होने वाले नुकसान
की भरपाई नहीं होगी।

अतः दिनांक 18-7-19 को पारित
अस्थाई अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश

को वाद के निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) किया जाता है कि प्रार्थी के खसरा नं. 1660/454 व 494 की भूमि पर विपक्षीगण किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण अथवा उपभोग, उपभोग नहीं करे। प्रार्थी के कब्जे में बाधा नहीं डाले तथा ऐसे कार्य नहीं करे जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो। तथा वाद विधि अनुसार चले। तहसीलदार निर्णीत आदेशानुसार पालना करावे। पत्रावली मूल वाद नं. 18/15 के साथ संलग्न रहे।

SDO